

शाहरुक खलमा दीना पिता बाबु सुरम्या पादनि स्व० बाबु
हि०ब० 1/35 इनामत मुल्मोहम्मद पिता गफूर हि०ब० 1/7 जाति
मुसलमान खा० देह खातेदार ।

उपरोक्तानुसार सहायतेदारों द्वारा बताया गए
हिस्से मजमे आम में रखा गया । जिसमें सही होने की
पुष्टि की गई । सहमती पत्र पर हस्ताक्षर कराये गए।
भतः सहायतेदारों की सहमती, तहसीलदार
बेगम की रिपोर्ट व DILRMP (उपरोक्तवर्षित आदेश) के
निर्देशानुसार उक्त वर्षितानुसार सहायतेदारों के हिस्से
की घोषणा की जाती है । पत्रावली वारुते आदेश दिनांक
27.06.2019 को पेश हो ।

27.06.2019

पत्रावली पेश हुई । दिनांक 18.06.2019 को सहमतीपत्र
अनुसार हिस्से की घोषणा किये जाने से निर्णयानुसार
डिडी आदेश जारी हो । विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया
जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मम्बर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर
(उपरवर्ष अधिकारी)
बेगम (विशेष)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेरू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्या : 56/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेरू तहसील बेरू जिला चित्तौड़गढ़
वादी

बनाम

1. सत्तार पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
2. अहमद पिता करीम रहमान मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
3. अफजल पिता करीम रहमान मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
4. रहमान पिता गोटू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
5. शकूर पिता गोटू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
6. जब्बार पिता गोटू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
7. जब्बार पिता रज्जाक मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
8. अब्दुल गुलाम पिता रज्जाक मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
9. लालमोहम्मद पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
10. करीम पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
11. चौद पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
12. हमीद पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
13. हफीज पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
14. हवीब पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
15. वहीद पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
16. ईस्माइल पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
17. बिरिमला पिता स्व.लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
18. बुन्दु पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
19. रमझू पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
20. सुवान पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
21. वावु पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
22. मुन्ना पत्नि स्व. रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
23. इनायत पिता गफूर मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू
24. गुलमोहम्मद पिता गफूर मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेरू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेरू
पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1से 24 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेरू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने से उन्हें सुना गया व डिक्री आदेश हेतु दिनांक 27.06.2019 को नियत की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेरू (चित्तौड़गढ़) जिला

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 866 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई पटवार सर्कल नन्दवाई के खाता संख्या 20 सं. 2072-75 में आराजी नम्बर 978 रकबा 0.21 हैक्टर श्री अहमद अफजल पिता करीम रहमान, शकूर जब्बार पिता गोदू, अब्दुलगुलाम पिता रजाक, सत्तार लालमोहम्मद करीम, चांद पिता छोटू, हमीद हफीज, हबीब, वहीद इस्माईल पिता लतीफ बिस्मिला बेवा लतीफ, बुन्दु रमजु, सुवान बाबु पिता रहीम मुन्ना पत्नि स्व. रहीम, इनायत गुलमोहम्मद पिता गफूर मुसलमान सा.देह के नाम दर्ज है। इस खाते में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं है। मिसल बन्दोबस्त में यह खाता 8 भाईयों शेख रहमान, भूरा, गोदू, छोटू, लतीफ, रहीम, रज्जाक गफूर पिता शेख अमीर मुसलमान के नाम दर्ज था जो बाद नामान्तरण कार्यवाहीयों से वर्तमान दर्ज है। भूरा बैऔलाद फोट है। अतः 7 हिस्से शेष रहे हैं। हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया एवं कोर्ट कैम्प मुकाम नंदवाई में प्रतिवादीगणों में से उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि ग्राम नंदवाई में उक्त वर्णित उक्त आराजीनम्बर 978 रकबा 0.21 हैक्टर उनकी पैतृक होकर 8 भाइयों के नाम पर थी जिनमें सभी के हिस्सा बराबर है। तथा भूरा पिता शेख अमीर के बैऔलाद फोट होने से अब 7 हिस्से शेष रहे जिनमें प्रत्येक भाई के 1/7 हिस्सा रहेगा जिससे इनके वारिसानों के 1/7-1/7 हिस्से दर्ज किये जाने पर सभी सहमत है।

भू प्रबंध के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। खाता संख्या 151 पर आराजी नम्बर 978 रकबा 1बीघा 06बिस्वा यानि 0.21 हैक्टर श्री शेख रहमान भूरा गोदू छोटू लतीफ रहीम रज्जाक गफूर पिता शेख अमीर मुसलमान सा.देह के नाम दर्ज है। तथा उपरोक्तानुसार नामान्तरणों से वारिसों के नाम दर्ज हुआ है। कोर्ट कैम्प में उपस्थित अन्य मौतबिरान से जानकारी की गई जिस पर उन्होंने भूरा के फौत होने 7 (सात) हिस्से होकर उसी अनुरूप काबिज होना जाहिर किया है। पटवारी हल्का ने बताया कि ना.सं. 1690, 1691, 1692 से बाबू पिता रहीम, ईस्माईल पिता लतीफ करिम चांद पिता छोटू के विरासत का नामान्तरण प्रस्तावित है। अतः रेकार्ड, प्रतिवादीगणों की सहमति व मजमेआम कोर्ट में जानकारी से 1/7-1/7 हिस्से अनुसार वारिसानों के हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते हैं।


अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता 20 सं. 2072-75 में आराजी नम्बर 978 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में अहमद अफजल पिता करीम रहमान हिस्सा बराबर 1/7, शकूर जब्बार पिता गोदू हिस्सा बराबर 1/7, जब्बार अब्दुलगुलाम पिता रजाक हि.ब. 1/7, सत्तार लालमोहम्मद पिता छोटू हि.ब. 1/14, मुबारिक फिरोज पिता करीम शहनाज पुत्री करीम हूरमत पत्नि स्व. करिम हि.ब. 1/28 मुराद असलम पिता चांद जैबून हसिना पुत्री चांद छोटीबाई पत्नि स्व.चांद हि.ब. 1/28, हमीद हफीज हबीब वहीद पिता लतीफ, बिस्मिला बेवा लतीफ हि.ब. 5/42, जाकिर. हुसैन, शाहिद कल्लूबाई पिता ईस्माईल छोटीबाई पत्नि स्व. ईस्माईल हिस्सा ब. 1/42, बुन्दु, रमजु, सुवान पिता रहीम मुन्ना बेवा रहीम हिस्सा बराबर 4/35 अनवर शेरमोहम्मद बन्टी सददाम अब्बास शाहरुक सलमा हीना पिता बाबु सुरैया पत्नि स्व.

अहमद अफजल
(उपस्थित अधिकारी)
बेगू (पिताइनायत)

बाबु हि.ब. 1/35, इनायत गुल मोहम्मद पिता गफूर हि.ब. 1/7 जाति मुसलामान साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

 27/6/19
(रमेश सावंत पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौड़गढ़



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
दस्तावेज संख्या : 56/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़
वादी

बनाम

1. सत्तार पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
2. अहमद पिता करीम रहमान मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
3. अफजल पिता करीम रहमान मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
4. रहमान पिता गोदू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
5. शकूर पिता गोदू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
6. जब्बार पिता गोदू मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
7. जब्बार पिता रज्जाक मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
8. अब्दुल गुलाम पिता रज्जाक मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
9. लालमोहम्मद पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
10. करीम पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
11. चांद पिता छोटु मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
12. हमीद पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
13. हफीज पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
14. हबीब पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
15. वहीद पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
16. ईस्माइल पिता लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
17. बिस्मिला पिता स्व.लतीफ मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
18. बुन्दु पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
19. रमझू पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
20. सुबान पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
21. बाबु पिता रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
22. मुन्ना पत्नि स्व. रहीम मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
23. इनायत पिता गफूर मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू
24. गुलमोहम्मद पिता गफूर मुसलमान निवासी नंदवाई तह0 बेगू

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सह धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई के खाता 20 सं. 2072-75 में आराजी नम्बर 978 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में अहमद अफजल पिता करीम रहमान हिस्सा बराबर 1/7, शकूर जब्बार पिता गोदू हिस्सा बराबर 1/7, जब्बार अब्दुलगुलाम पिता रजाक हि.ब. 1/7, सत्तार लालमोहम्मद पिता छोटु हि.ब. 1/14, मुबारिक फिरोज पिता करीम शहनाज पुत्री करीम हूरमत पत्नि स्व. करिम हि.ब. 1/28 मुराद असलम पिता चांद जैबून हसिना पुत्री चांद छोटीबाई पत्नि स्व.चांद हि.ब. 1/28, हमीद हफीज हबीब वहीद पिता लतीफ,बिस्मिला बेवा लतीफ हि.ब. 5/42,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौडगढ़

जाकिर हुसैन, शाहिद कल्लूबाई पिता ईस्माईल छोटीबाई पत्नि स्व. ईस्माईल हिस्सा ब. 1/42, बुन्दु, रमझु, सुबान पिता रहीम मुन्ना बेवा रहीम हिस्सा बराबर 4/35 अनवर शेरमोहम्मद बन्टी सददाम अब्बास शाहरुक सलमा हीना पिता बाबु सुरैया पत्नि स्व. बाबु हि.ब. 1/35, इनायत गुल मोहम्मद पिता गफूर हि.ब. 1/7 जाति मुसलामान साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।



(रमेश सोरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (राजस्व) अधिकारी
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।